**संख्या–4165/आठ–1–05–29विविध/98**

प्रेषक,

**के.एल.मीना**
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**1– आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

**2– उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

**3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
7–बन्दरियाबाग, लखनऊ।

**4– नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

**आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1** **लखनऊ : दिनांक 07 जुलाई, 2006**

**विषय : 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही प्रारम्भ कर दिया जाता है, जिसके कारण इन योजनाओं के नियोजन में बोर्ड में प्रतिनिधित्व कर रहे विभिन्न विभागों का योगदान सुनिश्चित नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश योजनओं की ''फाइनंन्शियल वायबिलिटी'' का आंकलन भी नहीं किया जाता है, जिसके कारण योजनान्तर्गत सृजित सम्पत्तियों के निस्तारण में कालान्तर में समस्यांए उत्पन्न होती हैं।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी योजना को आरम्भ करने से पूर्व उसकी ''फाइनंन्शियल वायबिलिटी'' का आंकलन करते हुए यथास्थिति विकास प्राधिकरण बोर्ड/आवास एवं विकास परिषद बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही उसका कियान्वयन किया जाए। यद्यपि समस्त योजनाओं पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना श्रेयष्कर होगा, परन्तु 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं का कियान्वयन बोर्ड से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाए।

भवदीय,

**के. एल. मीना**

सचिव

**संख्या–4165(1)/आठ–1–05–29विविध/98 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

3– अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

5– विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।।

6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**शिवजनम चौधरी**

अनुसचिव